

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 345] No. 345] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 24, 2018/माघ 4, 1939

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 24, 2018/MAGHA 4, 1939

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 2018

सं. 46 / 2015-2020

विशयः आईटीसी (एचएस), 2017—अनुसूची—I (आयात नीति) के अध्याय 31 के आईटीसी (एचएस) कोड 3102 10 00 के तहत यूरिया की आयात नीति शर्त में संशोधन।

का.आ. 398(अ).—समय—समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति, 2015—2020 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पिटत विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा अधिसूचना संख्या 30/2015—2020 दिनांक 26.09.2017 की वैधता को और दो माह के लिए बढ़ाती है तथा मैसर्स नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड (एनएफएल) को और दो माह हेतु अर्थात् 26.02.2018 तक यूरिया का आयात करने की अनुमित प्रदान करती है।

इस अधिसूचना का प्रभावः वर्तमान राज्य व्यापार उद्यमों (एसटीई) के अतिरिक्त, मैसर्स एनएफएल को और दो माह अर्थात् 26.02.2018 तक यूरिया का आयात करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

> [फा. सं. 01/89/180/102/एएम-02/पीसी-2(क)/भाग-II] आलोक वर्धन चतुर्वेदी, महानिदेशक, विदेश व्यापार

516 GI/2018 (1)

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th January, 2018

No. 46/2015-2020

Subject: Amendment in import policy condition of Urea under ITC (HS) code 3102 10 00 of Chapter 31 of ITC (HS), 2017–Schedule–I (Import Policy).

S.O. 398(E).—In exercise of powers conferred by Section 3 of FT (D&R) Act, 1992, read with paragraph 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2015-2020, as amended from time to time, the Central Government hereby extends the validity of the Notification No.30/2015-2020 dated 26.09.2017 by another two months and permits M/s. National Fertilizer Limited (NFL) to import urea for another two months i.e. till 26.02.2018.

Effect of this Notification: In addition to the existing STEs, M/s. NFL is permitted to import urea for another two months i.e. till 26.02.2018.

[F. No. 01/89/180/102/AM-02/PC-2 (A)/Part-II]

ALOK VARDHAN CHATURVEDI, Director General of Foreign Trade